Flüchtlingsrat
Sachsen-Anhalt e. V.

HI

सम्बन्धित दफ्तरों के साथ वार्तालाप

मुझे किन चीज़ों पर ध्यान देना है?

जर्मनी में सम्बन्धित दफ्तर और विभिन्न विभागों में प्रत्येक कार्रवाई लिखित दस्तावेज़ों के रूप में होती है। इन दस्तावेज़ों के द्वारा सम्बन्धित लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को समझाया जाता है। फिर इन दस्तावेज़ों को किसी भी वक़्त जांचा जा सकता है।

महत्वपूर्ण: हर लिखित आदान-प्रदान की एक कापी आपके खुद के इस्तेमाल के लिए लाभदायक होती है । सम्बन्धित दफ्तर अपने किसी भी फ़ैसले के बारे में आपको लिखित रूप में सूचित करने के लिए जुमेवार है। हर प्रकार के फ़ैसले को "फेर्वाल्टुंगसाक्ट" (प्रशासनिक नयम) कहा जाता है। इसके लिखित पत्र को निर्णय (फैसला) कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको सोशियाल-आम्ट (समाज कल्याण कार्यालय) या जॉब-सेंटर (नौकरी केंद्र) से पैसा मिलता है। तब आपको एक „लाईस्टुंग्सबेशाइड"(रहने के लिए पैसा आदि) प्राप्त होता है । सम्बन्धित दफ्तर को हमेशा कानून के अनुसार अपने फ़ैसले की सफाई देनी होती है। कानून की समझ के मुताबिक उसका उपयोग विभिन्न सरकारी विभागों के बीच अलग अलग हो सकता है।

विभिन्न नियम

इ.यू. (यूरोपीय संघ): ऐसे नियम जो पूरे यूरोपीय संघ पर लागू होते हैं।
जर्मनी: कुछ ऐसे और प्रशासनिक नियम जो जर्मनी में सभी सम्बन्धित दफ्तरों पर लागू होते हैं।
राज्य (जैसे साक्सेन-अनहल्ट): फिर ऐसे कानून भी हैं जो केवल कुछ राज्यों पर लागू होते हैं। कुछ राज्यों में, प्रशासनिक नियम भी हो सकते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कानून को कैसे लागू किया जाना है। इसे एर्लास (अधिनियम) कहा जाता है। उच्च-स्तरीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गये परिपत्र भी इसमें शामिल हैं।

हमारी सलाह है कि हर बेशाइड (निर्णय) को ध्यान से जांचीए । यदि आप इस निर्णय को नहीं समझते हैं, तो एक सलाह केंद्र की मदद लें।

- क्या बेशाइड(निर्णय) के अंतर्गत कई फ़ैसले लिए गए हैं?
- क्या प्रत्येक निर्णय का कानूनी आधार बताया गया है? पत्र में संबंधित अनुच्छेद "§" का उल्लेख किया जाना ज़रूरी है!
- क्या बेशाइड (निर्णय) में यह लिखा गया है, कि यदि आप बेशाइड (निर्णय) या उसके किसी फ़ैसले से असहमत हैं तो आप क्या कदम उठा सकते हैं? इस कदम को कानूनी सहायता (अपील) कहा जाता है। पत्र में इसके बारे में जानकारी होती है। आमतौर पर यह पत्र के अंत में होता है।

यदि आपके पास कोई सवाल या अस्पष्टता या फिर ख़ास तौर की समस्याएं हैं, तो आप बिना इंतजार करने के बजाय सीधे किसी बेराटुंग्स-स्टेले (सलाह केंद्र) या कानूनी प्रतिनिधि (वकील) के पास जाना चाहिए।

सुझाव

आवेदन पत्र:

- सम्बन्धित दफ्तर को आवेदन पत्र स्वीकार करना जरूरी होता हैं। तो उम्मीद ना छोड़ें। यदि आवश्यक हो, तो फिर से किसी अलग समय पर आएं।
- हमेशा लिखित रूप में आवेदन जमा करवाए और उसकी एक कापी खुद के पास रखना सबसे अच्छा होता है। आपको अपने आवेदन पत्र जमा करने के बाद समय आने पर दिखाने के लिए कुछ हो। जैसे आवेदन-पत्र को फ़ैक्स करने के बाद संबंधित फ़ैक्स की रसीद संभाल कर रखें। यदि आप सम्बन्धित दफ्तर में खुद जा कर आवेदन पत्र जमा करवाते है तो आप मोहर जरूर लगवाएं पर जोर दें या फिर कोई दस्तावेज साबूत के तोर पर ले आए।
- आवश्यक दस्तावेज़ों न होने के बावजूद भी आपका आवेदन पत्र लिया जाएगा और स्वीकृत किया जाएगा । कोन से दस्तावेजों की जरूरत है सम्बन्धित दफ्तर को आप को बताना होगा। इसे सलाह मशविरा और आपके कर्तव्यों की जानकारी देना) कहा जाता है और यह कानून की किताब में एक (एस जी बी ।) की धारा §§ 14-16 में लिखा है।
- यह अच्छा होता है जब आप अपने आवेदन पत्र में जितने हो सकें आपके जारुरी दस्तावेज़ पेश करें। यदि आपके पास अभी सारे सबूत नहीं हैं, तो इसे आवेदन पत्र में लिखें। यह सब आप बाद में जमा करवा सकते हैं।
- आपको केवल आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे। यदि सम्बन्धित दफ्तर आपसे किसी दस्तावेज़ को नहीं मांगता

तो आपको उन्हें जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दस्तावेज़ आवश्यक नहीं हैं। इसके अलावा आप इन दस्तावेज़ों के बारे में लिखित रूप से पूछ सकते हैं।

- यदि आपके आवेदन पत्र की प्रतिक्रिया में ज़्यादा समय लग रहा है, तो सम्बन्धित दफ्तर से आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। यह विशेष रूप से जीविका संबंधी सेवाओं पर लागू होता है (जैसे कि "अज़्युल्बेवेर्बरलाइस्टुंग" - शरण या आश्रय संबंधित सेवायें)।

मुझे आवेदन पत्र के जवाब लिए कब तक इंतजार करना होगा? इसको क़ानूनी – भाषा में "सम्बन्धित दफ्तरों की लापरवाही "।

सम्बन्धित दफ्तर को प्रत्येक आवेदन पत्र का जवाब देना होता है। इस काम के लिए उनके पास असीमित समय नहीं होता है। सम्बन्धित दफ्तर को "तैह किए गए समय के भीतर" फैसला करना होता है। यदि सम्बन्धित दफ्तर ऐसा नहीं करता है, तो आप अदालत में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। यह मुकदमा सामाजिक न्यायालय अधिनियम (एस जी जी) की धारा §§ 88 के अनुसार "निष्क्रियता" के लिए दायर किया जाता है। मुकदमे का उद्देश्य यह है कि आप अपने आवेदन का जवाब प्राप्त कर सकें।

यदि ज़्यादा देरी होने का कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है, तो 6 महीने के बाद न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है। (नोट: सम्बन्धित दफ्तरों में बहुत अधिक काम होना या कर्मचारियों की कमी होना महत्वपूर्ण कारण नहीं हैं)।

यदि आपने किसी सम्बन्धित दफ्तर के निर्णय (नीचे देखें) पर आपत्ति जताई है, तो आपत्ति का जवाब देने और दोबारा निर्णय लेने के लिए सम्बन्धित दफ्तर के पास केवल 3 महीने का समय होता है।

कभी-कभी सम्बन्धित दफ्तर को यह स्पष्ट रूप से बताना लाभदायक होता है कि आप अपने अधिकारों को जानते हैं, यदि आपको काफ़ी समय तक उनसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप मुकदमा दायर कर सकते हैं।

सम्बन्धित दफ्तर द्वारा आवेदन पत्र की अस्वीकृति

अगर मैं सम्बन्धित दफ्तर के फैसले से असहमत हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं?

मेरे पास कितना समय है?

जैसे ही आप एक फैसले की सूचना प्राप्त करते हैं, उस फैसले के खिलाफ संभावित अपील की समय अवधि शुरू हो जाती है। अवधि उस तिथि से शुरू मानी जाती है जिस दिन आपको यह फैसले की सूचना भेजी गई थी। लिफाफे पर लिखी तारीख नोट करें, स्टाम्प देखें या पीले लिफाफे मिलने पर उस पर लिखी तारीख।

आप अपील की निर्धारित समय अवधि के बारे में जानकारी „रेश्ट्स-बेहेल्फ्स-बेलेहरूंग" (कानूनी अपील) भाग में पाकर कर सकते हैं। आमतौर पर आपके पास फ़ैसले के खिलाफ अपील दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होता है।

कृपया अपील करने का समय सीमा पर ध्यान दें!

यदि कानूनी अपील के बारे में कोई जानकारी शामिल नहीं है, तो यह एक गलती है।इस लिए आपके पास अपील करने के लिए एक साल का समय होता है। यदि कानूनी अपील के बारे में शामिल जानकारी गलत है, तो भी यह एक गलती है। इस परिस्थिति में भी आपके पास अपील करने के लिए एक साल का समय होता है।

यदि आप अपील के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर सके या फिर बाद में यह पता करते हैं कि कुछ गलत है, तो आप एक निर्धारित समय सीमा के भीतर समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं?

आपको इस समय अवधि ("कानूनी अपील" देखें) के भीतर फैसले की सूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

यदि आपको एक हां में उत्तर मिला है, तो जांचें कि सब कुछ मनजूर हो गया है या फिर कुछ छूट गया है या इस मे मौजूद नहीं हैं।

यदि आपको ना में उत्तर मिला है, तो जांचें कि क्या आपके आवेदन पत्र में से सब कुछ खारिज कर दिया गया है या केवल एक हिस्सा ही खारिज किया गया है।

यह भी जांचना महत्वपूर्ण है कि अस्वीकृति कानून के तहत सही है या नहीं। यह भी हो सकता है कि एक हिस्सा सही हो और दूसरा हिस्सा गलत हो। यह महत्वपूर्ण है कि अस्वीकृति के प्रत्येक कारण के साथ उस सम्बंधित कानून का उल्लेख किया जाए जिसके तहत यह फ़ैसला लिया गया था। यहां पर अनुच्छेद („§") या धारा (Art.) का उल्लेख किया जाना जरूरी है। अगर यह मौजूद नहीं है, तो यह एक गलती है। सम्बन्धित दफ्तर को हमेशा अपने फ़ैसले का कारण बताना होता है।

यह भी हो सकता है कि सम्बन्धित दफ्तर किसी और कानूनी विनियमन पर गौर करना भूल गया है। इस मामले में संभव है कि आपके पास एक जायज दावा है, और सम्बन्धित दफ्तर को फिर से फ़ैसला करना होगा। ऐसा अक्सर तब होता है जब कानून में बदलाव आते हैं।

यदि मैं सम्बन्धित दफ्तर के फ़ैसले से सहमत नहीं हूं तो मैं क्या कर सकता हूं?

यदि आप किसी सम्बन्धित दफ्तर के फ़ैसले से असहमत हैं, तो आप इसे लिखित रूप में पेश कर सकते हैं। इसे "वीडरस्प्रुख आइनलेगेन" (अपील दर्ज करना) कहा जाता है।

ज्यादातर मामलों में, एक अनौपचारिक अपील दर्ज करना-होता है। यह एक पत्र होता है जिसमें आप साफ़ तरीके से समझा सकते हैं कि आप इस निर्णय से असहमत हैं। इस पत्र में आप जिम्मेदार सम्बन्धित दफ्तर को फिर से स्थिति की जाँच करने की मांग करते हैं। आप निर्णय के केवल एक हिस्से से असहमत हैं, तो आपको इसे साफ़ तौर से लिखना चाहिए कि आप किस भाग से असहमत हैं। फैसले से असहमति का कारण लिखना भी अक्सर मददगार होता है, लेकिन यह बताना जरूरी नहीं है।

आमतौर पर, आपके लिए इससे सम्बंधित कोई खर्च या नुकसान नहीं होता है।

यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो एक सलाह केंद्र या एक वकील की मदद लें। [अधिक जानकारी और उदाहरण यहां पाए जा सकते हैं: https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/antragshilfen-musterklagen/

अगर आवेदन पत्र का एक हिस्सा ही खारिज होता है तो मैं क्या कर सकता हूं?

आपकी अपील निर्णय के केवल एक हिस्से से भी संबंधित हो सकती है।

अपील में यह बताना चाहिए कि आपको किस भाग से आपत्ति है। फ़ैसले के खिलाफ आपकी आपत्ति के कारणों की व्याख्या करना जरूरी होता है। सम्बन्धित दफ्तर को आपके दृष्टिकोण की जांच करनी होगी। कारण लिखना जरूरी नहीं है। बिना कोई कारण बताए भी, सम्बन्धित दफ्तर को निर्णय की पूरी जाँच करनी होती है।

यदि जाँच के बाद भी नतीजा नहीं बदलता है तो मैं क्या कर सकता हूं?

यदि सम्बन्धित दफ्तर अपना फ़ैसला नहीं बदलता है या फिर उनके फैसले से आप सहमत नहीं हैं, तो आप अदालत में इस नए फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं।

मेरे पास मुकदमा दायर करने के लिए कितना समय है?

दूसरे फ़ैसले ("वीडरस्प्रुख्स-बेशाइड") की प्राप्ति बाद आपके पास जिम्मेदार सामाजिक न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होता है। लिफाफे पर पर लिखी तारीख नोट करें।

एक मुकदमा में कितना खर्च होता है?

सामाजिक सुविधा का लाभ मिलने की स्तिथि में कानूनी प्रक्रिया में कोई खर्च नहीं होता है। यह यहां के कानून § 183 SGG में लिखा है। यह इस मामले में भी लागू होता है जब आपके लाभ का हकदार होना विवादित है। अन्य अदालतों में आमतौर पर अदालत सम्बंधित खर्चे होते हैं।

यदि आपके पास एक वकील है, तो उसके साथ लागत सम्बंधित चर्चा करें।

यदि आप अदालत में सफल होते हैं, तो आपका कोई खर्च नहीं होता है। इस मामले में सम्बन्धित दफ्तर को आपके वकील के खर्चे का भुगतान करना पड़ता है। यदि आप असफल होते हैं, तो आपको अपने वकील को भुगतान खुद करना होगा।

वित्तीय सहायता - कानून-सम्बन्धी आर्थिक सहायता -

आप वित्तीय सहायता के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं। इसे "प्रोसेस-कॉस्टन-हिल्फ़े" (कानून-सम्बन्धी आर्थिक सहायता) बोलते हैं। "कानून-सम्बन्धी आर्थिक सहायता" के आवेदन करने के लिए अदालत में मदद उपलब्ध होती है।

अधिक जानकारी के लिए यहाँ देखें: https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/prozesskostenhilfe

अदालत यह जांच करेगी कि आपका धन अपर्याप्त है या नहीं। यदि आप कानून-सम्बन्धी आर्थिक सहायता के हकदार हैं, तो आपकी लागत (वकील-सम्बंधित खर्च सहित) का भुगतान किया जाएगा।

तत्काल जरूरत होने के बावजूद सम्बन्धित दफ्तर की लापरवाही

यदि आपको सुविधा की तत्काल जरूरत है (जैसे आप दर्द में हैं और चिकित्सा उपचार की तत्काल आवश्यकता है) और सम्बन्धित दफ्तर पत्र के बावजूद त्वरित निर्णय नहीं लेता है, तो आप त्वरित निर्णय के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं। इसे "आइल-आंत्राग" (तत्काल अनुरोध) कहा जाता है। तत्काल अनुरोध सक्षम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है।

यदि तत्काल आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाता है, तो अदालत सम्बन्धित दफ्तर को आपको प्रावधिक रूप से सुविधा प्रदान करने के लिए मजबूर कर सकती है।

तत्काल आवेदन पत्र के लिए, आपके पास सभी सहायक दस्तावेज (जैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र) होने चाहिए और इसे तत्काल आवेदन पत्र के साथ जमा करना चाहिए। अदालत को यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि आपको सेवाओं की तत्काल आवश्यकता क्यों है।

आप तत्काल आवेदन के लिए कानून-सम्बन्धी आर्थिक सहायता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

प्रावधिक का अर्थ क्या है?

तत्काल आवेदन पर निर्णय के बाद ("तत्काल प्रक्रिया") मुख्य प्रक्रिया चलती है। मुख्य प्रक्रिया में वक्त लेकर यह स्पष्ट करेगी कि क्या आप वास्तव में सुविधाओं के हकदार हैं। हालांकि, तत्काल प्रक्रिया का निर्णय अक्सर पथप्रदर्शक होता है और इसलिए यह अनुमान लगाना मुमकिन होता है कि मुकदमा जीता जा सकेगा या नहीं। यदि तत्काल आवेदन स्वीकृत किया जाता है, तो संभावना अच्छी है कि मुख्य प्रक्रिया भी स्वीकृत की जाएगी।

महत्वपूर्ण: खुद सम्बन्धित दफ्तरों के पत्रों में लिखित सूचना की जाँच करें! समय सीमा का पालन करें! दस्तावेजों की कापी करके अपने पास रखें! सलाह केंद्र ढूँढे और जाएँ! यदि आवश्यक हो तो अपील जमा करें! कानूनी सहायता ढूँढे!

यदि आपके पास कोई सवाल हैं या फिर आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप किसी सलाह केंद्र या अपने वकील से संपर्क करें।

यहां आपको सैक्सन-अनहाल्ट में सलाह केंद्रों के संपर्क मिलेंगे: https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/adressen-und-beratungsstellen/kontakte-landesweit/

यदि आप किसी अन्य प्रदेश में सलाह केंद्र की तलाश कर रहे हैं, तो संबंधित फ्लुष्टलिंग्सराट (राज्य शरणार्थी परिषद) से पूछें। इनके संपर्क आप यहाँ पा सकते हैं:

Flüchtlingsrat
Sachsen-Anhalt e. V.

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
»Landesinfostelle Flucht und Asyl«

Schellingstr. 3-4
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 50549613
Mail: info@fluechtlingsrat-lsa.de
www.fluechtlingsrat-lsa.de

Das Projekt „Landesinfostelle Flucht und Asyl" wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert und gefördert durch:

EUROPÄISCHE UNION | Europa fördert – Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds | SACHSEN-ANHALT #moderndenken | PRO ASYL – DER EINZELFALL ZÄHLT. | UNO Flüchtlingshilfe – Deutschland für den UNHCR